वादी अनुपस्थित, उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी कमांक 01 द्वारा श्री सुरेश मिश्रा अधिवक्ता। प्रतिवादी कमांक 02 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज राजीनामा कथन अंकित किये जाने हेतु नियत है।

बार—बार पुकार लगवाये जाने पर भी वादी या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

वादी की इस अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादी का वाद आदेश 09 एवं आदेश 17 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

।।।, सी.जे.।।, गोहद